

प्रेषक,
डा० अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,
श्री आर०के०चडढा
संयुक्त निबंधक (प्रशासन-प्रथम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

सन्दर्भ:- 16775/चतुर्थ -2475 /प्रशासन (ए) इलाहाबाद दिनांकित 19 नवम्बर 2019

पत्रांक 342/20 प्रशासन न्याय विभाग अमरोहा दिनांक 25.2.20

विषय:- स्वयं के सेवानिवृत्त होने पर अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान
किये जाने के सम्बन्ध में:-
गहोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराना है कि मैं दिनांक 31.05.2020 को अधिवर्षिता पूर्ण करने पर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित पत्र के अनुपालन में स्वयं के नियत तिथि दिनांक 31.05.2020 को सेवानिवृत्त होने पर मेरे अर्जित अवकाश लेखे में देय दिवसों के सापेक्ष अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान देय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे दिनांक 31.05.2020 को न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने पर देय अर्जित अवकाश नकदीकरण के भुगतान की स्वीकृति हेतु पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष आदेशार्थ रखने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक

भवदीय

(डा० अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ)
जिला न्यायाधीश
अमरोहा न्यायाधीश
अमरोहा